

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री बिरेन्द्र कुमार पिता- श्री बंशी साव , ग्राम- एदला , थाना- एदला जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू एवं आरा , थाना- बालुमथ जिला-लातेहार (झारखण्ड) थाना सं. 56 एवं 55 (रैयती भूमि) खाता सं. 104, 161, 139, 5, 166 एवं 10 के अधीन प्लॉट सं. 677, 501, 500, 1291, 579, 517, 547, 506, 1127, 432, 434P, 517, 368, 678, 741, 742 एवं 1095. कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: चमातू एवं आरा , थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू एवं आरा , थाना: बालुमथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) थाना सं: 56 एवं 55 (रैयती भूमि) खाता सं० 104, 161, 139, 5, 166 एवं 10 के अधीन प्लॉट सं० 677, 501, 500, 1291, 579, 517, 547, 506, 1127, 432, 434P, 517, 368, 678, 741, 742 एवं 1095. कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के तहत श्री बिरेन्द्र कुमार पिता- श्री बंशी साव , ग्राम- एदला , थाना- एदला , जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू एवं आरा , थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

बिरेन्द्र कुमार
१६/०४/२०२२

विनोद